

26/11/19

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को आवार्जें
लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुए।
बार-बार आवार्जें लगाने के उपरान्त भी
कोई हाजिर नहीं हुए। न्यायालय का
समय समाप्त हो चुका है। पक्षकारान
हाजिर नहीं होने की वजह से पत्रावली
अदम हाजरी अदम पैरबी में खारिज
की जाती है। पत्रावली क्रैसल शुमार
होकर नम्बर से कम की जाकर
चाखिल दफतर हो।

न्यायक कलेक्टर, धादिङ

